

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

ऐनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 1998 (श्रावण 6, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

१. प्रबन्धनोत्तर विषय के अनुसार विभिन्न विभागों की विवरणों का एक संग्रह है।

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

३ अस्थायिकों का पहला पत्र उन्हांचा जाता

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुसार 213 लौटी अपेक्षान्तर निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे : -

(क) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश, 1998
(क्रमांक 1 सन् 1998)

(ख) मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (क्रमांक 2 सन् 1998)

(ग) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पटाधुति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 1998 (क्रमांक ३ सन् १९९८)

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 29 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16-4-97-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर, 1997 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार वि मध्यप्रदेश स्टेट एमो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 27 वां वार्षिक प्रातिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे।

(उ) श्री रामजी महाजन, जेल मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 18 की उपधारा (उ) की अपेक्षानुसार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1026-97-चौबन-1-490, दिनांक 24 अप्रैल, 1998 पटल पर रखेंगे।

4. मार्च-मई, 1996 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर दखा जाना।

5. नियम 267-के अधीन मार्च-मई, 1998 सत्र में पदी गई सुचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।

6. राष्ट्रपति/राजघराना की अनुमति प्राप्त विधेयकों की संचाना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वेशी लक्ष्मीकांत शर्मा, बुजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, आलाघाट जिले के ग्राम खपराडियाँ में नक्सलवादियों की गोलीबारी से पुलिस अधिकारियों की मौत होने की ओर गह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(2) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद अंतर्गत के कृषकों से क्रय किये गये गेहूं के मूल्य का सहकारी समितियों द्वारा भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करें।

४. सभापति तालिका अंकी घोषणा

- 2 -

९. वर्षावधि

(1) श्री नन्द कुमार पटेल, राज्यमंत्री गृह, दिनांक 25 मार्च, 1998 को पुछे गये तारीकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 158) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वर्कशॉप हों।

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, दिनांक ३० अप्रैल, १९९८ को पुष्टे गये अताराकित प्रश्न संख्या ५७ (क्रमांक ५७१३) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

१०. शासकीय विधि विषयक कार्य संसद द्वारा

श्री अशोक राव, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 17 सन् 1998) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक प्रस्थापित करेंगे।

निर्धारित । ११. नियम १३९ के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वर्चा समय

प्रदेश में हैं जा, मलेरिया, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, गलघोटु आदि संक्रामक बीमारियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री विजय बहादुर सिंह बुदेता, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, बुजमोहन अग्रवाल, विरोजीलाल सोनकर, सुरेन्द्र वर्मा, नेमीचन्द जैन, रणजीत सिंह गुणवान, गिरिराज मण्डलोई, कमल पठेल, श्री मुनिराम साहू, लक्ष्मीकान्त शर्मा, रामलखन सिंह (त्यौथर), सोनेराम कुशवाह, चन्द्र प्रकाश बाजपेयी तथा श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भौतिक -